सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेसनोट दिनांक - 31.05.2026

- **इटावा पुलिस की प्रभावी विवेचना से फर्जी घटना का खुलासा।**
- **आपसी विवाद एवं मुकदमेबाजी के चलते मिथ्या साक्ष्य गढ़कर पुलिस को भ्रमित करने तथा निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने की साजिश रचने वाली महिला एवं उसके सहयोगी को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण एवं साक्ष्यों के आधार पर इटावा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही।**

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक अपराध इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस एवं थाना लवेदी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 27.05.2026 को वादिनी सरिता पत्नी राजेश कुमार निवासी ग्राम नगला सेव थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना लवेदी पर सूचना दी गयी कि दिनांक 26.05.2026 को मेडिकल कॉलेज सैफई से ड्यूटी कर वापस जाते समय ज्ञानपाल पुत्र विमलेश कुमार, प्रीति पत्नी ज्ञानपाल, वीटू पुत्र विमलेश कुमार, विमलेश कुमार तथा दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे बहला-फुसलाकर वाहन में बैठा लिया गया तथा कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर बेहोश कर दिया गया। तत्पश्चात उसे थाना लवेदी क्षेत्रान्तर्गत एक सुनसान स्थान पर छोड़कर चले गये। स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सूचना दिए जाने पर पुलिस द्वारा उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

उक्त सूचना के आधार पर थाना लवेदी पर **मु0अ0सं0 22/26 धारा 123/127(2) बीएनएस** पंजीकृत किया गया तथा घटना की गंभीरता के दृष्टिगत **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** द्वारा एसओजी/सर्विलांस एवं थाना लवेदी पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर घटना के अनावरण/जांच के निर्देश दिए गये।

गठित पुलिस टीम द्वारा **ऑपरेशन त्रिनेत्र** के अन्तर्गत जनपद में स्थापित सीसीटीवी कैमरों, इलेक्ट्रॉनिक एवं भौतिक साक्ष्यों, तकनीकी विश्लेषण तथा मैनुअल सत्यापन के आधार पर घटना की गहन जांच के दौरान घटना के समय नामित अभियुक्तों की उपस्थिती घटनास्थल पर नही पाई गई तथा यह तथ्य प्रकाश में आया कि **वादिनी सरिता** एवं नामजद व्यक्तियों के मध्य **पूर्व से परिचय एवं लेन-देन सम्बन्धी विवाद** चला आ रहा था। इसी विवाद के कारण नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में भी वाद विचाराधीन/प्रचलित था।

विवेचना के दौरान संकलित तकनीकी एवं अन्य साक्ष्यों के विश्लेषण से वादिनी द्वारा बताये गये घटनाक्रम की पुष्टि नहीं हुई। वादिनी सरिता द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नामजद व्यक्तियों को झूठे अभियोग में फंसाने के उद्देश्य से मिथ्या सूचना दी गयी थी। जांच के क्रम में **अमरपाल पुत्र स्व0 हृदयराम** निवासी गौरा दयालपुर थाना चौबिया जनपद इटावा की भूमिका प्रकाश में आयी। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि अमरपाल एवं सरिता द्वारा आपसी सहमति एवं पूर्व नियोजित योजना के तहत घटना का मिथ्या स्वरूप तैयार किया गया।

विवेचना में नामजद अभियुक्त ज्ञानपाल पुत्र विमलेश कुमार, प्रीति पत्नी ज्ञानपाल, वीटू पुत्र विमलेश कुमार एवं विमलेश कुमार के विरुद्ध लगाए गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 31.05.2026 को एसओजी/सर्विलांस टीम एवं थाना लवेदी पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत ददौरा पुलिया के पास भ्रमणशील थी । इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 22/26 से सम्बन्धित अभियुक्त अमरपाल यादव पुत्र हृदयराम शामला मन्दिर के पास खडा है । सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर **अभियुक्त अमरपाल यादव को ददौरा शामला मन्दिर के पास** से पकड़ लिया गया ।

इसी क्रम में पूछताछ के उपरान्त थाना लवेदी पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 22/2026 धारा से संबंधित वांछित अभियुक्ता सरिता पत्नी राजेश को सैफई क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता से पूछताछ एवं विवेचना में प्राप्त साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि नामजद व्यक्तियों के साथ चल रहे आपसी विवाद एवं मुकदमेबाजी के कारण उन्हें कानूनी परेशानी में डालने के उद्देश्य से योजनाबद्ध तरीके से मिथ्या साक्ष्य गढ़कर पुलिस को भ्रामक सूचना दी गयी थी तथा झूठा अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना के सम्बन्ध में प्रस्तुत तथ्यों एवं वास्तविक परिस्थितियों में पर्याप्त विरोधाभास पाए जाने पर की गयी गहन जांच में प्रकरण का सफल अनावरण किया गया।

उक्त गिरफ्तारी के संबंध मे थाना लवेदी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 22/26 धारा 123/127(2) बीएनएस मे धारा 123/127(2) बीएनएस का लोप व धारा 231/61(2)/319(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. अमरपाल यादव पुत्र हृदयराम निवासी गौरा दयालपुर थाना चौबिया जनपद इटावा **उम्र करीब 45 वर्ष ।**
2. सरिता पत्नी राजेश निवासी ग्राम नगला सेव थाना सैफई जनपद इटावा **उम्र करीब 38 वर्ष ।**

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0 22/26 धारा धारा 231/61(2)/319(2) बीएनएस थाना लवेदी जनपद इटावा ।

पुलिस टीमः-

प्रथम टीमः- प्रभारी एसओजी/सर्विलांस मय टीम ।

द्वितीय टीमः- प्रभारी निरी0 श्री अनिल कुमार विश्वक्रर्मा थाना लवेदी, उ0नि0 जितेन्द्र चौधरी मय टीम ।